

वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
सीमा शुल्क आयुक्त कार्यालय
सीमा शुल्क गृह, न्यू हारबर एस्टेट
ततुक्कुडी - 628 004.

दूरभाष : 0461 2352655, 2352633 फैक्स 0461 2352019

स्थायी आदेश सं. 01 /2017

विषय: ए ई ओ प्रमाण पत्र धारकों को शुल्क-वापसी की मंजूरी हेतु नमूनों के आहरण से छूट-तत्संबंधित

शुल्क-वापसी प्रदान करने के उद्देश्य से नमूनों के आहरण की आवश्यकता से छूट के संबंध में प्रामाणित ए ई ओ (टीयर I) निर्यातकों का ध्यान बोर्ड के परिपत्र संख्या 18/2017- दिनांकित 29.05.2017 की ओर आकर्षित किया जाता है।

2. परिपत्र संख्या 33/2016 दिनांक 22.07.2016 के संदर्भ में, परिपत्र संख्या 05/2017 दिनांक 28.02.2017 के अनुसार जिन निर्यातकों को प्राधिकृत किफायती प्रचालक (एईओ) प्रमाणपत्र (टीयर II & टीयर III) प्रदान किया गया है, किसी विशेष सूचना या आसूचना के मामलों को छोड़कर उनको शुल्क-वापसी प्रदान करने के उद्देश्य से नमूनों के आहरण की आवश्यकता से छूट पहले ही दी जा चुकी है।

3. उपर्युक्त परिपत्र के क्रम में तथा आगे की सुविधा सेवा के उपाय के रूप में प्राधिकृत किफायती प्रचालक (एईओ) टीयर I प्रमाणपत्र धारकों को किसी विशेष सूचना या आसूचना के मामलों को छोड़कर शुल्क-वापसी प्रदान करने के उद्देश्य से नमूनों के आहरण की आवश्यकता से छूट को लागू किए जाने का निर्णय किया जा चुका है।



(के.वी.वी.जी. दिवाकर)

आयुक्त

सी.सं VIII/48/06/2016/ सी.शु. नीति

सीमा शुल्क नीति अनुभाग

सीमा शुल्क गृह ततुक्कुडी

दिनांक 12.06.2017

सेवा में : सीमा शुल्क गृह ततुक्कुडी के सभी सहायक आयुक्त

नोटिस बोर्ड

ईडीआई अनुभाग, सीमा शुल्क गृह ततुक्कुडी - बैवसाइट में अपलोड करने हेतु
प्रतिलिपि प्रस्तुत : मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक) तिरुच्चि।